

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2015

विषय:-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में आर.एम. एन.सी.एच.+ए (RMNCH+A) कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में से ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस एक प्रमुख कार्यक्रम है। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस प्रथम पंक्ति के तीनों कार्यकर्त्रियों आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं ए0एन0एम0 को एक साझा मंच प्रदान करती है, जिसके द्वारा समुदाय को, विशेषकर माता और बच्चे को स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जा सकें। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र विशेषकर मलिन बस्तियों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गयी है, जिसके अंतर्गत शहरी कार्यक्षेत्र में भी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। राज्य पोषण मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी उक्त दिवस का प्रभावी आयोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

1.2 ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन के सम्बन्ध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्रांक अ0नि0/यू0आई0पी0/कैम्प/2008/1581-92 दिनांक 02 जून, 2008 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इस शासनादेश के माध्यम से पूर्व में ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस के लिए जारी किये गये समस्त निर्देशों को अवक्रमित करते हुए ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं। ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस हेतु विस्तृत गाईडलाइन संलग्नक-1 के अनुसार होंगे।

1.3 राज्य पोषण मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासनादेश संख्या: 176/60-2-15-2/3(27)/टी.सी. दिनांक 15 जनवरी, 2015 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों हेतु अनुश्रवण व समीक्षा के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। वर्तमान शासनादेश के माध्यम से ग्राम शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के लिए दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं। उक्त शासनादेश में वर्णित समस्त कार्यवाहियों भी उक्त अधिकारियों द्वारा यथावत संपादित की जानी है।

2. उद्देश्य

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के सभी निवासियों को समुदाय स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता प्रदान करना, स्वस्थ व्यवहार एवं आचरण हेतु प्रोत्साहित करना तथा समुदाय स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं जैसे-टीकाकरण, प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् सेवायें, पोषण दिवस एवं परिवार नियोजन आदि, प्रदान करने हेतु मंच उपलब्ध कराना है।

3. लक्षित समूह— उक्त दिवस के लिए प्रमुखतः निम्न लक्ष्य समूह होंगे—

- गर्भवती महिला (पंजीकरण एवं टीकाकरण, प्रसव पूर्व 4 देखभाल एवं जाँच हेतु)
- 0—2 वर्ष के बच्चों (टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं व जाँच हेतु)
- 2—5 वर्ष के बच्चों का (टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं व जाँच हेतु)
- 10—19 वर्ष के किशोर—किशोरी (IFA गोलियां एवं परामर्श)

4. स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस प्रदान की जाने वाली सेवायें—

4.1 ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन समुदाय को निम्नांकित सेवायें प्रदान की जायेगी—

- प्रसव पूर्व सेवायें
- प्रसव पश्चात् सेवायें
- नवजात स्वास्थ्य सेवायें
- शिशु स्वास्थ्य
- टीकाकरण
- पोषण एवं पुष्टाहार वितरण
- परिवार कल्याण
- किशोर स्वास्थ्य
- अन्य सेवायें जैसे—जन्म—मृत्यु सूचना, संक्रामक रोग सूचना आदि।

4.2 उक्त सेवाओं को प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख संलग्नक—1 पर उपलब्ध गाईडलाइन्स के अनुसार होगा।

5. क्रियान्वयन रणनीति —

5.1 प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व की भांति लगभग 1000 की जनसंख्या पर प्रति माह एक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में लगभग 2500 की जनसंख्या पर प्रति माह एक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजन किया जाएगा।

5.2 अभिमुखीकरण— नवीन गाईडलाइन के क्रम में जनपद, ब्लॉक व उपकेन्द्रों में अधिकारियों के अभिमुखीकरण की व्यवस्था की जाएगी। समस्त जनपद उक्तानुसार आगामी पंद्रह दिवसों में अभिमुखीकरण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

5.3 स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन— ग्राम/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के लिए कार्ययोजना बनाने, स्थल चयन करने, उपकरण व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रचार—प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने/सहयोगात्मक

पर्यवेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि की व्यवस्था हेतु संलग्नक-1 पर उपलब्ध गाईडलाइन्स में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। अतः ग्राम/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन में विभिन्न विभागों के लिए निर्धारण किए गए उत्तरदायित्वों के अनुसार उक्त दिवस का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. विभिन्न विभागों की भूमिका

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सफल आयोजन में विभिन्न विभाग जैसे— स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायतीराज विभाग, नगर विकास विभाग आदि का सहयोग एवं सहभागिता आवश्यक है। विभिन्न विभाग एवं उनसे अपेक्षित उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे—

6.1 स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग, 'स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस' हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुख्य रूप से विभिन्न स्तरों पर ग्राम/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने, 'स्वास्थ्य पोषण दिवस' हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक एवं मानव संसाधन आदि की व्यवस्था करने, बाल विकास विभाग एवं पोषण मिशन से समन्वय सुनिश्चित करने, विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यक्रम का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने आदि कार्यों का संपादन किया जाएगा।

6.2 बाल विकास विभाग

स्वास्थ्य पोषण दिवसों पर पोषण सम्बन्धी समस्त सेवाओं को समुदाय को उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी बाल विकास विभाग की होगी। बाल विकास विभाग द्वारा पोषण सेवाओं हेतु समस्त लॉजिस्टिक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की उक्त दिवसों पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा उक्त दिवसों का सघन अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक, जनपद व राज्य स्तर पर होने वाली बैठकों में बाल विकास विभाग के सक्षम स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। बाल विकास विभाग के द्वारा प्रत्येक स्तर पर इस कार्यक्रम की सफलता हेतु स्वास्थ्य विभाग को सभी प्रकार से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

6.3 पंचायतीराज विभाग

ग्रामीण स्तर पर उक्त कार्यक्रम की सफलता में ग्राम पंचायतों का सकारात्मक सहयोग अत्यन्त आवश्यक होगा। पंचायतीराज विभाग, ग्राम प्रधानों के माध्यम से, ग्राम स्तर पर आयोजित किये जाने वाले सभी 'स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस' हेतु समुदाय को प्रेरित करेंगे, जो सत्र उपकेन्द्र अथवा आंगनवाड़ी केन्द्र के अतिरिक्त आयोजित किये जा रहे हैं उनके लिए स्थान एवं लॉजिस्टिक आदि का व्यवस्था में यथायोग्य सहायता प्रदान करेंगे। ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाली समीक्षा बैठकों में पंचायतीराज विभाग के सक्षम स्तर के अधिकारी प्रतिभाग सुनिश्चित करेंगे।

6.4 शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग, आवश्यकतानुसार 'स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस' हेतु स्थान उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा, बच्चों के माध्यम से समुदाय को 'स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस' में भागीदारी

हेतु प्रेरित करेगा। ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर स्तर पर आयोजित किये जाने वाली समीक्षा बैठकों में शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर के अधिकारी प्रतिभाग सुनिश्चित करेंगे।

6.5 नगर विकास विभाग

शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस में विभिन्न नगर निकायों के प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय को प्रेरित करने, शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के लिए स्थल चयन व लॉजिस्टिक हेतु सहयोग करने तथा विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में सक्षम स्तर के अधिकारियों का प्रतिभाग सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

6.6 उक्त सभी विभाग शासन स्तर पर उक्त कार्यक्रम हेतु समन्वय के लिए विशेष सचिव स्तर का एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे। सभी विभाग आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु उक्त शासनादेश व संलग्न गाईडलाइन के अनुपालन हेतु पृथक से निर्देश भी जारी करेंगे।

6.7 स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन में विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की विस्तृत भूमिका संलग्नक-1 के अनुसार गाईडलाईन में उल्लिखित है।

7. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के पर्यवेक्षण के लिए नियमित टीकाकरण की पर्यवेक्षकीय योजना का ही उपयोग किया जायेगा। अतः जो पर्यवेक्षक नियमित टीकाकरण का पर्यवेक्षण करेंगे वे साथ ही में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की अन्य सेवाओं का भी पर्यवेक्षण निर्धारित प्रारूपों के अनुसार करेंगे। इस हेतु विस्तृत निर्देश संलग्नक-1 के अनुसार गाईडलाईन में उल्लिखित है।

8. आख्या प्रेषण

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की ब्लॉक स्तर पर सत्रवार रिपोर्टिंग की जाएगी तथा समुदाय को प्रदान की गयी सेवाओं को मदर एवं चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (एम.सी.टी.एस.) में भरे हुए वर्कप्लान से अद्युनान्त (अपडेट) किया जायेगा। माह के अन्त में एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर समस्त सूचनायें समय से अपलोड की जायेगी।

9. कार्यक्रम समीक्षा की व्यवस्था : विभिन्न स्तरों पर उक्त कार्यक्रम की समीक्षा व्यवस्था निम्नवत् होगी :-

9.1 राज्य स्तर

- राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति (संलग्नक-2)द्वारा की जायेगी। नियमित टीकाकरण की समीक्षा भी राज्य स्तीय टास्क फोर्स के स्थान पर राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं पोषण समिति द्वारा ही की जायेगी।
- कार्यक्रम की मासिक समीक्षा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर पर गठित समिति (संलग्नक-3) द्वारा की जाएगी।
- राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के नोडल अधिकारी निदेशक मातृ एवं बाल स्वास्थ्य होंगे।

9.2 मण्डल स्तर

- मण्डल स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की प्रगति की मासिक समीक्षा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डल स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति (संलग्नक-4) द्वारा की जायेगी।
- मण्डल स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के नोडल अधिकारी अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे।

9.3 जनपद स्तर

9.3.1 जनपद स्तर पर ग्रामीण/शहरी "स्वास्थ्य पोषण दिवस" की समीक्षा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। उक्त समिति का गठन संलग्नक-5 के अनुसार किया जाएगा। जनपद स्तर पर नियमित टीकाकरण की समीक्षा हेतु गठित समिति को समाप्त किया जा रहा है एवं उक्त समीक्षा का कार्य इसी समिति के द्वारा किया जाएगा। राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत जिला स्तरीय पोषण समिति हेतु शासनादेश संख्या-66/60-2-15-2/3(27)/5 टी0सी0, दिनांक 12.01.2015 में द्वारा गठित समिति की बैठक भी उक्त समिति की बैठक के साथ ही की जायेगी।

9.3.2 जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी समस्त ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

9.4 ब्लॉक स्तर

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के नोडल अधिकारी ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे। ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत राज) के साथ मासिक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाली विकासात्मक संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठनों के ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। इन बैठकों के कार्यवृत्त अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को प्रेषित किये जाएंगे।

9.5 शहरी कार्यक्षेत्र

शहरी कार्यक्षेत्र में सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक, शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के नोडल अधिकारी होंगे।

10 नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का अनुश्रवण विश्व स्वास्थ्य संगठन व यूनिसेफ के पदाधिकारियों के द्वारा भी किया जाना है, उक्त संस्थाओं द्वारा पूर्व की भाँति ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा यथावत की जाती रहेगी। उक्त संस्थाओं द्वारा ग्राम/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस की माइक्रो प्लानिंग में यथायोग्य सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।

11 ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के माध्यम से समुदाय को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के द्वारा मातृ-शिशु मृत्यु दर तथा बाल कुपोषण में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकती है। यद्यपि ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों का आयोजन लंबे समय से किया जा रहा है, परंतु उक्त आयोजन प्रभावी न होने के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं।

अतः जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा है कि शहरी/ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस को नवीन गाईडलाइन के अनुसार प्रभावी रूप से क्रियान्वयन व अनुश्रवण सुनिश्चित करें जिससे कि प्रदेश में मातृ-शिशु मृत्यु दर व बाल कुपोषण में त्वरित कमी लाई जा सके।
संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय
17/4/2015
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-146(1)/पॉच-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, बाल कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. महानिदेशक, पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई
9. रीजनल टीम लीडर, एन.पी.एस.पी., लखनऊ।
10. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ
11. चिकित्सा अनुभाग-9
12. गार्ड फाइल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,
17/4/2015
(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।



ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस निर्देशिका जनवरी – 2015



प्रथम संस्करण

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



विषय सूची

1. प्रस्तावना	2
2. परिचय	4
3. ग्रामीण / शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु योजना.....	7
4. लॉजिस्टिक प्रबंधन	9
5. भूमिका एवं दायित्व	12
6. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण	17
7. अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग	18
8. समीक्षा तंत्र	19
9. अनुलग्नक—	
1. अनुलग्नक-1 सूक्ष्म कार्ययोजना दिशा निर्देश	
2. अनुलग्नक-2 ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए पर्यवेक्षण प्रपत्र	
3. अनुलग्नक-3 लाभार्थी सूची एवं टेली शीट	
4. अनुलग्नक-4 ब्लॉक से जनपद को प्रेषित होने वाली रिपोर्ट	
5. अनुलग्नक-5 जनपद से राज्य को प्रेषित होने वाली रिपोर्ट	
6. अनुलग्नक-6 राज्य स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति	
7. अनुलग्नक-7 निदेशालय स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति	
8. अनुलग्नक-8 मण्डल स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति	
9. अनुलग्नक-9 जिला स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति	

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश

प्रस्तावना

लगभग बीस करोड़ की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, जिसमें भारत की 1/6 आबादी निवास करती है। वर्ष 2012-13 के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे (AHS) के अनुसार प्रदेश की मातृ-मृत्यु दर 258 प्रति लाख जीवित जन्म थी। जबकि वर्ष 2010-12 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की सम्मिलित मातृ-मृत्यु दर 292 प्रति लाख जीवित जन्म थी, प्रदेश की नवजात मृत्यु दर की रेंज का 37 (SRS 2012) से 50 (AHS 12-13) के मध्य आंकलन किया गया है, लेकिन अभी भी यह दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। एस.आर.एस.-2013 द्वारा उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 50 शिशु मृत्यु प्रति हजार जीवित जन्म अंकलित की गई है। प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। मातृ-मृत्यु दर वर्ष 2001-02 में 517 प्रति लाख जन्म से लगभग आधी होकर 2012 में 292 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर में भी वर्ष 2006 से वर्ष 2013 के मध्य 23 अंको की गिरावट दर्ज की गई है, (वर्ष 2006 में 73 प्रति हजार जन्म के सापेक्ष 2013 में 50 प्रति हजार जीवित जन्म)। समय के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के उपयोग में भी निरंतर सुधार देखा जा रहा है जैसे संस्थागत प्रसव वर्ष 2002-04 के 21% से बढ़कर 2013-14 में लगभग तीन गुनी 57% हो गई है।

पिछले दशक में स्वास्थ्य के परिणामों में काफी सुधार देखा गया है, साथ ही स्वास्थ्य बजट में भी समुचित वृद्धि की गई है, फिर भी प्रदेश के स्वास्थ्य एवं विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं आच्छादन में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य (RMNCH+A) सेवाओं में सुधार हेतु प्रदेश के 25 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में विशेष अभियान चलाया गया है, साथ ही सम्पूर्ण प्रदेश में माँ एवं बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए "हौसला" अभियान की भी शुरुआत की गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के माध्यम से RMNCH+A के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं विकास के क्षेत्र में निवेश पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा RMNCH+A की गतिविधियों में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश एवं देश के अन्य प्रदेशों में वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे साधनों एवं तकनीकों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

इस क्षेत्र में प्रदेश के प्रयासों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 को "मातृ एवं बाल स्वास्थ्य" वर्ष के रूप में घोषित किया जाना प्रस्तावित है। उसके पूर्व प्रदेश में संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण एवं आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों की गुणवत्ता एवं आच्छादन हेतु व्यापक अभियान चलाया जाना तथा राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर योजना, क्रियान्वयन एवं समीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाना है। इस अभियान के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य "ग्रामीण एवं

शहरी स्वास्थ्य व पोषण दिवस”, जो समुदाय में सेवा प्रदान करने का महत्वपूर्ण मंच है, को सुदृढ़ करना है। अभियान में ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस में दी जा रही सेवाओं में विस्तार किया जाएगा एवं उनके योजना, प्रबंधन एवं अनुश्रवण में सुधार लाया जाएगा।

प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवम्बर, 2014 को राज्य पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। महिलाओं एवं छोटे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु राज्य पोषण मिशन प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर प्रयासों में एकरूपता लाने की भूमिका निभाएगा। राज्य पोषण मिशन द्वारा भी स्वयं के लिए तय किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु “स्वास्थ्य पोषण दिवस” को एक प्रभावी मंच मानते हुए इसके क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ कराने का निर्णय लिया है।

वर्तमान में प्रदेश में बुधवार एवं शनिवार को आयोजित किये जाने वाले “ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस” प्रमुखतः टीकाकरण पर ही केंद्रित रहते हैं, जबकि इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं पोषण की अन्य सेवाएँ भी प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत दिशा निर्देश द्वारा प्रसवपूर्व देखभाल, उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की पहचान, संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन एवं पोषण सेवाओं में गुणवत्ता एवं आच्छादन में सुधार हेतु वर्तमान दिशा निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है।

प्रस्तुत दिशा निर्देश ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशाओं, ए.एन.एम. तथा पंचायती राज संस्थाओं के दायित्वों को समझने में सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत दिशा निर्देश इस अवसर पर दी जाने वाली सेवाओं, संसाधनों, सामुदायिक भागीदारी एवं अभिलेखीकरण के बारे में व्यवस्था प्रदान करेगा। उक्त दिवसों हेतु आवश्यक मात्रा में समस्त सामग्रियों को उपलब्ध कराने एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधकों के दायित्वों का उल्लेख भी प्रस्तुत दिशा निर्देशों में वर्णित है।

परिचय

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस क्या है?

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हर माह आयोजित होने वाला एक निश्चित दिवस है, जिसमें एक निश्चित क्षेत्र/गांव के लोगो को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित सेवाएं दी जाती हैं।

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के उद्देश्य

1. समुदाय को प्रत्येक माह के एक निश्चित दिन पर स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करना।
2. इन सेवाओं को लेने हेतु समुदाय को प्रेरित करना

क्रियान्वयन रणनीति

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान दी जाने वाली सेवाएं

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर समुदाय के विभिन्न समूहों को स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएगी।

1. गर्भवती महिला

- (i) गर्भावस्था निर्धारण हेतु जांच
- (ii) गर्भावस्था का पंजीकरण
- (iii) अनुमानित प्रसव तिथि का आंकलन करना
- (iv) मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड जारी करना एवं उसे अद्यतन करना
- (v) टी.टी. के टीके दिलाना
- (vi) प्रसवपूर्व जांच कराना
 - क. पेट की जांच
 - ख. तापमान
 - ग. रक्तचाप मापना
 - घ. हीमोग्लोबिन की जांच
 - ङ. प्रोटीन व शर्करा हेतु मूत्र जांच
 - च. वजन मापना
- (vii) उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (गम्भीर रक्तलप्ता, प्री-एक्लेम्पसिया) का प्रबंधन और संदर्भन
- (viii) आई.एफ.ए. की गोलियां दिलाना
- (ix) टेक होम राशन दिलाना (उस सप्ताह हेतु राशन का वितरण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किया जाए)
- (x) रक्तलप्ता वाली महिलाओं को अतिरिक्त आई.एफ.ए. की गोलियां प्रदान करना

(xi) सामूहिक/व्यक्तिगत परामर्श निम्न बिन्दुओं पर प्रदान किया जाएगा –

- शीघ्र पंजीकरण एवं चार प्रसवपूर्व जांचों के फायदे
- कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच स्वास्थ्य इकाई पर करवाने हेतु प्रेरित करना
- प्रसव योजना
- 'जननी सुरक्षा योजना' तथा 'जननी एवं शिशु सुरक्षा कार्यक्रम'
- 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा
- गर्भावस्था के दौरान होने वाली सामान्य जटिलताएं एवं प्रबंधन
- गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण
- रक्तलप्ता के लक्षण— बचाव और रोकथाम
- गर्भावस्था के दौरान पोषण और आराम
- आई.एफ.ए. गोलियों के सेवन का महत्व
- स्तनपान की शीघ्र शुरुआत एवं छः माह तक केवल स्तनपान
- परिवार नियोजन की विधियां विशेषतः पी.पी.आई.यू.सी.डी.
- प्रारम्भिक आवश्यक नवजात देखभाल (शिशु को गर्म रखना, स्नान कराने का उचित समय, नाल की देखभाल)
- प्रसव उपरान्त 42 दिनों तक माँ एवं नवजात शिशु की देखभाल

2. पाँच वर्ष तक के बच्चे

- (i) टीकाकरण— बी.सी.जी., डी.पी.टी., पोलियो, हिपेटाइटिस बी., खसरा और जे.ई.
- (ii) विटामिन ए (प्रोटोकॉल के अनुसार)
- (iii) कृमीनाशक (प्रोटोकॉल के अनुसार)
- (iv) बच्चों का वजन लेना और मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड वृद्धि चार्ट में अंकित करना
- (v) अतिकुपोषित बच्चों का संदर्भन
- (vi) अल्पवजन बच्चों की जांच (स्टूल जाँच, हिमोग्लोबिन एवं अन्य शारीरिक जांच) एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य ईकाईयों पर संदर्भन
- (vii) टेक होम राशन (अल्पवजन बच्चों को दुगना राशन)
- (viii) छः माह से ऊपर के बच्चों को आयरन सम्पूरण
- (ix) बच्चों और नई प्रसूता माताओं की सामान्य स्वास्थ्य जांच
- (x) नवजात शिशु को प्रभावी रूप से स्तनपान हेतु सही लगाव और प्रभावी चूसन हेतु सलाह
- (xi) माता पिता की सामूहिक एवं व्यक्तिगत परामर्श निम्न बिन्दुओं पर सुनिश्चित किया जाएगा –

- पूर्ण टीकाकरण सारणी और कोई भी टीका न छूटने का महत्व
- नवजात शिशु की नियमित देखभाल
- केवल स्तनपान (प्रसव के छः माह में)

- समयानुसार ऊपरी आहार
- हाथ की सफाई
- 2 साल तक स्तनपान जारी रखना
- प्रसव के पश्चात् माँ एवं बच्चों में उत्पन्न होने वाले खतरे के लक्षण
- बीमार व कमजोर नवजात शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर
- दस्त और निमोनिया की पहचान और उपचार
- बच्चों में उचित अंतराल और सीमित बच्चों के लिए परिवार नियोजन के साधन
- व्यक्तिगत साफ-सफाई
- सुरक्षित पेयजल

3. योग्य दम्पति (वर्तमान में विवाहित 15–49 वर्ष की महिलाएं और उनके पति) जो परिवार नियोजन के किसी भी साधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं

(i) सामूहिक एवं व्यक्तिगत परामर्श निम्न बिन्दुओं पर परामर्श दिया जाएगा –

- बच्चों में उचित अंतराल और सीमित बच्चों के लिए परिवार नियोजन के साधन
- परिवार नियोजन और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इकाईयां
- परिवार नियोजन अपनाने हेतु प्रोत्साहन राशि
- शिशु लिंग जांच और गर्भपात
- एच.आई.वी./एड्स और एस.टी.आई.

(ii) आवश्यकतानुसार आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, गर्भनिरोधक गोलियां और कण्डोम का वितरण

4. किशोरी बालिकाएं (10–19 वर्ष)

- टी.टी. के टीके
- एल्बेन्डाजोल
- सैनिटरी नैपकीन का सामाजिक विपणन
- सामूहिक एवं व्यक्तिगत परामर्श
 - मासिक धर्म के दौरान साफ-सफाई
 - साप्ताहिक आई.एफ.ए. सम्पूरण
 - विवाह की सही उम्र
 - किशोरावस्था के दौरान शारीरिक व मानसिक परिवर्तन
 - एच.आई.वी./एड्स और एस.टी.आई.
 - ए.आर.एस.एच. क्लीनिक (ARSH Clinic)

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु योजना

वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे नियमित टीकाकरण की सूक्ष्म कार्ययोजना के अनुसार संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र/शहरी हेल्थ पोस्ट/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ए.एन.एम. अपने कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु कार्ययोजना तैयार करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र की सूक्ष्म कार्ययोजना में उन सभी गांव और पुरवों को शामिल करना आवश्यक है जो उस उपकेन्द्र के अंतर्गत आते हैं, उन गाँवों/पुरवों को भी सम्मिलित किया जाए जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र स्थित नहीं है। ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है वहाँ नियमित टीकाकरण वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे और इन क्षेत्रों को स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सेवाओं हेतु गांव के नजदीकी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से संबंधित किया जाए। शहरी क्षेत्रों की सूक्ष्म कार्ययोजना में शहरी हेल्थ पोस्ट के अंतर्गत आने वाले सभी मलिन बस्तियों को शामिल करना सुनिश्चित किया जाए, बावजूद इसके कि उस क्षेत्र में आंगनवाड़ी स्थित है या नहीं। सूक्ष्म कार्ययोजना में पोलियो कार्यक्रम की कार्य योजना से मदद ली जा सकती है। अगर किसी क्षेत्र में ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अंतर्गत प्रस्तावित लक्षित लाभार्थी वर्तमान के नियमित टीकाकरण कार्ययोजना में पूरी तरह से आच्छादित नहीं होते हैं तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सत्रों की योजना बनाई जा सकती है।

अगर किन्हीं अप्रत्याशित कारणों की वजह से ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पहले से नियोजित दिन पर न हो पाए तो ऐसी परिस्थिति में इसका आयोजन सम्भवतः अगले दिन या किसी भी नजदीकी सम्भावित दिन पर करना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया अनुलग्नक-1 में दी गयी नियमित टीकाकरण की सूक्ष्म कार्ययोजना हेतु दिशा निर्देश का संदर्भन लें।

कार्ययोजना बनाते समय ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जहाँ अति पिछड़े समुदाय के लोग रहते हों, कम आच्छादन वाले क्षेत्र हों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हों।

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु स्थल

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस ऐसे स्थान पर आयोजित किया जाना चाहिए जो क्षेत्र/गांव/मजरे के मध्य में स्थित हो। साथ ही जहाँ शौचालय, प्रतीक्षा करने हेतु स्थान, जांच/परामर्श देने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो और टीकाकरण के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो।

उपर्युक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस उपकेन्द्र पर, शहरी हेल्थ पोस्ट पर, आंगनवाड़ी केन्द्र पर, किसी सामुदायिक स्थान पर या किसी के निजी भवन में आयोजित किया जाना चाहिए। समुचित स्थान का चयन उस क्षेत्र की आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समीति के सदस्यों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से सामूहिक रूप से परामर्श करके निर्धारित किया जा सकता है। अगर किसी के निजी

आवास को सत्र स्थल के रूप में चिन्हित किया जाता है तो उस दशा में ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समीति की निधि से आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की जा सकती है। आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा सहमति प्राप्त करने के पश्चात ए.एन.एम. अपनी सूक्ष्म कार्ययोजना में चयनित स्थल को अंकित करना सुनिश्चित करें।

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक माह में किसी भी एक स्थल पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन एक बार से ज्यादा न किया जाए।

ऐसे उपकेन्द्र अथवा आंगनवाड़ी केन्द्र जो मुख्य गांव या आबादी से दूर स्थित हो या बरसात के समय में वहाँ पहुँचाना मुश्किल हो, स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन का दिन व समय

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस बुधवार और शनिवार को आयोजित किया जाना है। अगर कार्ययोजना के अनुसार एक माह में 8 से ज्यादा सत्रों की आवश्यकता हो तो छूटे हुए क्षेत्रों को आच्छादित करने हेतु किसी एक अन्य एक दिन का निर्धारण किया जाए।

प्रत्येक ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन प्रातः 9 बजे से शुरू होकर सांय 4 बजे तक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु सम्भावित समय और महत्वपूर्ण गतिविधियां

समय	सम्भावित गतिविधि
सुबह 9 बजे से 12 बजे तक	टीकाकरण
12 बजे से 4 बजे तक	प्रसवपूर्व जांच/देखभाल, बच्चों का वजन, प्रसवपूर्व व पश्चात् परामर्श और अन्य सभी गतिविधियां

अगर कोई भी लाभार्थी प्रस्तावित समय पर सेवा लेने न आकर दूसरे समय पर आता है तो भी उसे सेवा देने से किसी भी परिस्थिति में मना न किया जाए।

समुदाय में ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन की सूचना (दिन व समय) आशा कार्यकर्त्री अथवा अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से एक दिन पूर्व देना सुनिश्चित की जाए।

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किसके द्वारा

स्वास्थ्य उपकेन्द्र या शहरी हेल्थ पोस्ट की ए.एन.एम. 'स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस' की योजना और आयोजन हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समीति अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन और पर्यवेक्षण के लिए सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा रिक्त उपकेन्द्रों की जिम्मेदारी ब्लॉक में उपलब्ध ए.एन.एम./एल.एच. वी. को दिया जाना चाहिए और ऐसे उपकेन्द्रों की सूक्ष्म कार्ययोजना बनवाना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लॉजिस्टिक प्रबंधन

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएं—

1. प्रतीक्षा करने का स्थान व चटाई
2. उपकरण, टीके और रिकार्ड रखने के लिए मेज
3. स्वास्थ्य कायकर्ता और माँ/बच्चे के लिए कुर्सियाँ
4. प्रसवपूर्व जांच के लिए जांच टेबल
5. एकांत करने के लिए पर्द/बेड स्क्रीन
6. हाथ धोने की सुविधा सहित शौचालय
7. साफ पेयजल

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु आवश्यक उपकरण—

1. गर्भवती महिलाओं हेतु—

- (i) वजन मशीन
- (ii) बी.पी. उपकरण
- (iii) स्टेथोस्कोप
- (iv) फिटोस्कोप
- (v) थर्मामीटर
- (vi) हीमोग्लोबिन मीटर साथ में N/10 घोल या हीमोग्लोबिन स्ट्रिप डिस्पोजेबल लैन्सेट के साथ
- (vii) यूरिस्टिक्स
- (viii) मूत्र एकत्रित के लिए कप
- (ix) निश्चय किट
- (x) डिस्पोजेबल दस्ताने
- (xi) डिजिटल घड़ी

2. बच्चों हेतु—

- (i) शिशुओं का वजन लेने के लिए वजन मशीन
- (ii) ऊपरी भुजा के मध्य भाग को मापने का टेप (MUAC Tape)
- (iii) हब कटर

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु आवश्यक औषधि/टीके और सामग्रियाँ

1. बी.सी.जी., डी.पी.टी., पोलियो, हिपेटाइटिस बी., खसरा और जे.ई. (डाइल्युएन्ट के साथ)
2. विटामिन ए बोतल
3. डिस्पोजेबल और ए.डी. सिरिज
4. आई.एफ.ए. गोलियाँ और सिरप
5. ओ.आर.एस./जिंक
6. पैरासिटामॉल

7. जेंटामाईसिन इंजेक्शन
8. एमोक्सीसिलिन सिरप
9. साबुन
10. अल्बेंडाजोल
11. गर्भनिरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम
12. रूई
13. वैक्सीन कैरियर साथ में 4 आईस पैक
14. काली और लाल पॉलिथिन बैग
15. एम.सी.पी. कार्ड
16. वृद्धि चार्ट
17. बैनर एवं आई.ई.सी. सामग्री

ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस स्थल पर उपलब्ध निम्न रजिस्टर उपलब्ध हों –

1. एम.सी.टी.एस. रजिस्टर/इण्टीग्रेटेड आर.सी.एच. रजिस्टर
2. ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर/आशा डायरी
3. आंगनवाड़ी रजिस्टर (प्रसवपूर्व जांच रजिस्टर/टीकाकरण रजिस्टर)

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

मुख्य चिकित्साधिकारी, सभी उपकरण और सामग्रियां जैसे- बी.पी. उपकरण, यूरिस्टिक्स, स्टेथोस्कोप, फिटोस्कोप, आई.एफ.ए. गोलियां, पैरासिटामॉल, ओ.आर.एस./जिंक, जेंटामाईसिन इंजेक्शन आदि नियमानुसार क्रय कर ब्लॉक पी.एच.सी./सी.एच.सी. को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् ये सभी सामग्रियों को स्वास्थ्य उपकेन्द्र और ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रभारी चिकित्साधिकारी की होगी।

नियमित टीकाकरण के लिए आवश्यक सामग्रियों अतिरिक्त वैक्सीन डिलवरी सिस्टम द्वारा सत्र स्थल तक पहुँचाई जाएगी। ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए आवश्यक अन्य उपकरण, औषधियां और सामग्रियां ए.एन.एम. द्वारा निर्धारित दिन और जगह पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कई सामग्रियां (हब कटर, बैनर आदि) उपकेन्द्र के अनटाईड फंड से खरीदी जा सकती है और इन्हें उस क्षेत्र की आशा या आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

उपकरणों	सामग्री पहुँचाने का सम्भावित माध्यम
1. वजन नापने की मशीन	आंगनवाड़ी केन्द्र/स्कूल
2. बी.पी. उपकरण	ए.एन.एम.
3. स्टेथोस्कोप	ए.एन.एम.
4. फिटोस्कोप	ए.एन.एम.

उपकरणों	सामग्री पहुँचाने का सम्भावित माध्यम
5. थर्मामीटर	ए.एन.एम.
6. हीमोग्लोबिन मीटर साथ में N/10 घोल या हीमोग्लोबिन स्ट्रिप डिस्पोजेबल लैन्सेट के साथ	ए.एन.एम.
7. यूरिस्टिक्स	ए.एन.एम.
8. मूत्र एकत्रित के लिए कप	ए.एन.एम.
9. निश्चय किट	आशा/ए.एन.एम.
10. डिस्पोजेबल ग्लबस	ए.एन.एम.
11. साबुन	आंगनवाड़ी केन्द्र
12. घड़ी	आशा
13. शिशुओं का वजन लेने के लिए मशीन	आंगनवाड़ी केन्द्र
14. ऊपरी भुजा के मध्य भाग को मापने का टेप (MUAC Tape)	ए.एन.एम.
15. हब कटर	ए.एन.एम.
16. टी.टी., बी.सी.जी. पोलियों, डी.पी.टी., हिपेटाइटिस बी., खसरा और जे.ई. साथ में डाइल्युएन्ट	अतिरिक्त वैक्सीन डिलवरी सिस्टम
17. वैक्सीन कैरियर 4 आईस पैक के साथ	अतिरिक्त वैक्सीन डिलवरी सिस्टम
1. विटामिन ए बोतल	अतिरिक्त वैक्सीन डिलवरी सिस्टम
2. डिस्पोजेबल और ए.डी. सिरिज (0.1ml, 0.5ml और 5ml)	ए.एन.एम.
3. आई.एफ.ए. गोलियां और सिरप	ए.एन.एम.
4. ओ.आर.एस. / ज़िंक	ए.एन.एम.
5. पैरासिटामॉल	ए.एन.एम.
6. जेंटामाईसिन इंजेक्शन	ए.एन.एम.
7. एमोक्सीसिलिन सिरप	ए.एन.एम.
8. अल्बेंडाजोल	ए.एन.एम.
9. गर्भनिरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम	ए.एन.एम.
10. रूई	ए.एन.एम.
11. वैक्सीन कैरियर साथ में 4 आईस पैक	ए.एन.एम.
12. काली और लाल पॉलिथिन बैग	ए.एन.एम.
13. एम.सी.पी. कार्ड	ए.एन.एम.
14. वृद्धि चार्ट	आंगनवाड़ी वृद्धि

भूमिका एवं दायित्व

“स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस” के लिए विभिन्न स्तर के सम्बन्धित पदाधिकारियों का योजना बनाने, आयोजन करने एवं अनुश्रवण हेतु भूमिका एवं दायित्व निम्नलिखित है :-

ए.एन.एम.

- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु योजना बनाना, आयोजन कराना एवं रिपोर्टिंग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एएनएम की होगी।
- उपकेन्द्र की बैठक में आशा एवं आंगनवाड़ी से चर्चा कर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूक्ष्म कार्ययोजना बनाना जिससे कि उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र विशेष रूप से असेवित क्षेत्र, उच्च जोखिम वाले, पिछड़ी आबादी वाले क्षेत्र का आच्छादन हो सके।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर दवाएं, वैक्सीन, प्रचार-प्रसार सामग्री, अभिलेख, उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर दी जाने वाली समस्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विभिन्न सेवाएं जैसे – प्रसव पूर्व जाँच, टीकाकरण, परामर्श हेतु लाभार्थी सूची तैयार करना।
- लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर लाने हेतु आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को निर्देशित करना।
- सत्र के समापन पर एम.सी.टी.एस. तथा अन्य अभिलेखों का अद्यतन कर आशा एवं आंगनवाड़ी को आंकड़ें उपलब्ध कराना।
- सेवाओं के आच्छादन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय आशा एवं आंगनवाड़ी का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- आशा, आंगनवाड़ी तथा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों के साथ प्रतिरोध वाले घरों का भ्रमण करना एवं उनको स्वास्थ्य एवं पोषण स्थल पर आने के लिए प्रेरित करना।
- क्षेत्र में किसी प्रकार की बीमारी फैलना एवं मृत्यु की सूचना एकत्रित कर रिपोर्ट करना।
- समुदाय में शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु की सूचना एकत्रित कर रिपोर्ट प्रेषित करना।

आशा

- ग्राम्य स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका/आशा डायरी के आधार पर गर्भवती महिलाओं, 0-2 वर्ष के बच्चों, किशोरियों तथा योग्य दम्पतियों जिनको स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान सेवाएं दी जाने हैं, उनकी सूची तैयार करना।

- लाभार्थी सूची के आधार पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से पूर्व विशेषकर उन घरों का दौरा करना, जिनके छूट जाने की सम्भावना अधिक हो तथा जहां असेवित वर्ग निवास करता हो।
- लाभार्थी सूची के आधार पर लाभार्थियों को प्रेरित कर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस स्थल पर एकत्रित करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के समापन पर प्रदान दी गई सेवाओं के आधार पर ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका का अद्यतन करना।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री

- सप्ताह का टेक होम राशन स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर वितरित करना।
- अभिलेखों को अद्यतन करना।
- 0-1 वर्ष तथा 1-5 वर्ष के बच्चों की सूची बनाना एवं अद्यतन करना।
- समुदाय को स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर सेवाएं लेने हेतु प्रेरित करना विशेषतः ऐसे क्षेत्र जहां आशा का पद रिक्त है।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर पूर्व में चिन्हित किए गए कुपोषित बच्चों का वजन अवश्य लिया जाना तथा वजन में बढ़ोत्तरी/घटन की पहचान कर आवश्यक परामर्श देना।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति

- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस स्थल पर साफ सफाई, स्थानीय संसाधन जैसे – कुर्सी, मेज, दरी, चटाई, पीने का पानी उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सुव्यवस्थित आयोजन में सहयोग करना।
- सभी लाभार्थियों का स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर सेवाएं लेने हेतु भागीदारी सुनिश्चित करने में सहयोग करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से पूर्व प्रचार-प्रसार करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में दी जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं में कमी को चिन्हित कर स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना एवं फालो अप करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार हेतु ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की निधि का उचित प्रयोग सुनिश्चित करना।
- क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना।

स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला/पुरुष, मुख्य सेविका

- पूर्ण आच्छादन सुनिश्चित करने हेतु (विशेषतः असेवित क्षेत्रों, अति पिछड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में) स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूक्ष्म कार्ययोजना की समीक्षा एवं सत्यापन करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सेवाओं में सुधार हेतु नियमित भ्रमण करना, कमियों की पहचान करना तथा सहयोग करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की रिपोर्ट का संकलन करना, पुष्टि करना, समीक्षा कर सम्बन्धित आशा, आंगनवाड़ी, ए.एन.एम. तथा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति को फीडबैक देना।
- स्थानीय संसाधन जैसे – कुर्सी, मेज, दरी, चटाई, पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक

- दिशा-निर्देश के अनुसार आशा, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, मुख्य सेविकाओं तथा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन पर अभिमुखीकरण सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में दी जाने वाली सेवाओं हेतु आवश्यक ज्ञान व कौशल पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- राज्य स्तर से दिए गए निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म कार्य योजना का त्रैमासिक समीक्षा सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का नियमित भ्रमण करना, कमियों की पहचान करना तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- आवश्यक सामग्री, उपकरणों तथा व्यवस्था की समीक्षा करना एवं सहयोग करना।
- मासिक आख्या की समीक्षा कर सम्बन्धित कर्मचारियों को फीडबैक देना तथा सुधार करवाना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की आख्या का संकलन कर जनपद पर भेजना।

जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी

- सूक्ष्म कार्य योजना (माइक्रोप्लान) बनाने में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- सूक्ष्म कार्य योजना के अनुसार आयोजित होने वाली सभी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भागीदारी सुनिश्चित करना।

- आयोजित होने वाली स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में कमियों की पहचान एवं सहयोग प्रदान करने हेतु नियमित भ्रमण करना (जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा)
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ नियमित भ्रमण कर कमियों की पहचान करना एवं सुधार हेतु सहयोग प्रदान करना।

जिला पंचायत राज अधिकारी

- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं ग्राम प्रधान की सहभागिता एवं सहयोग सुनिश्चित करना।
- आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की निधि का उपयोग सुनिश्चित करना।

नोडल अधिकारी/जिला प्रतिरक्षण अधिकारी

- जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों, बाल विकास विभाग, पंचायती राज जिला नगरीय विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा-निर्देशों पर अभिमुखीकरण करना।
- सूक्ष्म कार्ययोजना की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करना कि कार्य योजना में कोई भी क्षेत्र, गाँव, पुरवा, आबादी छूटे न हों।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूक्ष्म कार्य योजना राज्य स्तर पर साझा करना।
- जनपद में आयोजित होने वाली सत्रों पर नियमित भ्रमण कर अनुश्रवण करना तथा सहयोग प्रदान करना।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

- जनपद में आयोजित होने वाली सत्रों का नियमित भ्रमण कर अनुश्रवण करना तथा सहयोग प्रदान करना (प्रतिमाह 4 भ्रमण)
- सभी सत्रों हेतु फण्ड की उपलब्धता एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमित समीक्षा करना।
- प्रभारी चिकित्साधिकारियों/अधीक्षकों के साथ विशिष्ट सूचकांक पर सभी सत्रों की समीक्षा करना।
- अन्य सहयोगी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु सूक्ष्म कार्य योजना बनाने, सत्रों के सफल आयोजन, क्रियान्वयन तथा समीक्षा में सहयोगी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना।

मुख्य विकास अधिकारी

- जिला स्तरीय नियोजन एवं समीक्षा बैठकों में जिला अधिकारी के साथ प्रतिभाग करना एवं गुणवत्ता परक आयोजन हेतु चर्चा करना।
- पोषण सम्बन्धी गतिविधियों की समीक्षा करना, सुधारात्मक कार्यवाही करना
- जनपद में आयोजित होने वाली सत्रों का नियमित भ्रमण कर अनुश्रवण करना तथा सहयोग प्रदान करना

जिलाधिकारी

- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचकांकों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ मासिक समीक्षा करना।
- अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- जनपद में आयोजित होने वाली सत्रों का नियमित भ्रमण कर अनुश्रवण करना तथा सहयोग प्रदान करना

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, जिले में हो रहे नियमित टीकाकरण के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अनुसार ही किए जाएंगे। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि छः माह में एक जिले में होने वाले सभी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों का पर्यवेक्षण किया जा सके। विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण तथा सत्र पर्यवेक्षण किए जाने की संख्या निम्नानुसार है :-

स्तर	अधिकारी	प्रतिमाह भ्रमण हेतु स्वास्थ्य एवं पोषण सत्रों की सं०
राज्य	संयुक्त निदेशक/महा प्रबन्धक	2 सत्र प्रत्येक
मण्डल	सहायक निदेशक/संयुक्त निदेशक	4 सत्र प्रत्येक
	मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक	6 सत्र प्रत्येक
जिला	मुख्य चिकित्साधिकारी	4 सत्र प्रत्येक
	उप-मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	6 सत्र प्रत्येक
	जिला कार्यक्रम अधिकारी	4 सत्र प्रत्येक
	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर	6 सत्र प्रत्येक
ब्लॉक	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्साधिकारी	6 सत्र प्रत्येक
	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक/ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर	6 सत्र प्रत्येक
	बी.एच.ई.ओ.	6 सत्र प्रत्येक
	बाल विकास परियोजना अधिकारी/ मुख्य सेविका	6 सत्र प्रत्येक
	महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/स्वास्थ्य सुपरवाइजर	6 सत्र प्रत्येक

प्रत्येक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण के दौरान निरीक्षण चेक लिस्ट अनुलग्नक-2 के अनुसार भरना आवश्यक है। पूर्ण भरी हुई चेकलिस्ट सत्र से वापस किए हुए वैक्सीन कैरियर एवं अन्य सामग्रियों के साथ ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक सोमवार को ए.एफ.पी. प्रतिवेदन के साथ सभी भरी हुई चेकलिस्ट जिले में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। जिला नोडल अधिकारी आगामी बुधवार को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भरे गए चेक लिस्ट के अनुसार फीडबैक प्रदान करेंगे, जिससे आगामी सत्र पर सुधार किए जा सकें।

अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र से प्रभारी चिकित्साधिकारी को –

प्रत्येक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में दी गई सेवाओं को अनुलग्नक-3 में उपलब्ध कराई गई टैली शीट के अनुसार तीन प्रतियों में अंकित किया जाएगा। एक प्रति स्थानीय आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उपलब्ध कराया जाए। दूसरी प्रति उसी दिन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को (वापस किए हुए वैक्सीन कैरियर एवं अन्य सामग्रियों के साथ) उपलब्ध कराया जाए। तीसरी प्रति ए.एन.एम. अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर (एम.सी.टी.एस. /एच.एम.आई.एस एवं अगले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए ड्यू लिस्ट बनाने हेतु) सुरक्षित रखें। यदि कोई बैंक चेक हेतु सत्र पर अवलोकन करने जाता है तो यह प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर किसी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की टैली शीट जमा नहीं की गई तो उसे आयोजित नहीं माना जाएगा।

ब्लॉक से जिला –

टैली शीट के आधार पर बनाई गई संकलित रिपोर्ट (अनुलग्नक-4 के अनुसार) ई-मेल के माध्यम से सत्र के अगले दिन जिला नोडल अधिकारी को भेजना सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्ट की मूल प्रति आगामी सोमवार को ए.एफ.पी. रिपोर्ट के साथ भेजना सुनिश्चित किया जाए।

जिला से राज्य –

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों की जिला स्तरीय संकलित रिपोर्ट (अनुलग्नक-5 के अनुसार) प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार की सायं को ई-मेल द्वारा राज्य अधिकारी (संयुक्त निदेशक, यू.आई.पी.) को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा तंत्र

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आच्छादन एवं गुणवत्ता की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित प्रकार से की जानी है :-

ब्लॉक स्तरीय समीक्षा

प्रत्येक माह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, बी.डी.ओ., बाल विकास परियोजना अधिकारी, ए.डी.ओ. पंचायत, विकासात्मक सहयोगियों एवं एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।

जिला स्तरीय समीक्षा

जिला स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रत्येक माह अनुलग्नक-6 के अनुसार उक्त कार्यक्रम के आच्छादन एवं गुणवत्ता की समीक्षा करेगी।

मण्डल स्तरीय समीक्षा

मण्डल स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की समीक्षा के लिए मण्डलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रत्येक माह अनुलग्नक-7 के अनुसार उक्त कार्यक्रम के आच्छादन एवं गुणवत्ता की समीक्षा करेगी।

राज्य स्तरीय समीक्षा

राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की समीक्षा के लिए मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में निदेशालय स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रत्येक माह उक्त कार्यक्रम एवं नियमित टीकाकारण आच्छादन एवं गुणवत्ता की समीक्षा करेगी। यह समिति प्रत्येक माह अनुलग्नक-8 के अनुसार उक्त कार्यक्रम के आच्छादन एवं गुणवत्ता की समीक्षा करेगी।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर पर राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं पोषण समिति का गठन अनुलग्नक-9 के अनुसार किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा प्रत्येक तीन माह में उक्त कार्यक्रम को प्रदान अवयवों की समीक्षा की जाएगी।

सूक्ष्म कार्ययोजना

किसी भी कार्यक्रम की सफलता का एक प्रमुख घटक है— कार्यक्रम संचालन के लिए कार्य योजना बनाना। शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल आयोजन और क्रियान्वयन हेतु उसकी सूक्ष्म कार्य योजना तैयार करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रहे समस्त टीकाकरण सत्र क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के रूप में संचालित किये जायेंगे। इसकी कार्ययोजना हेतु 'नियमित टीकाकरण' कार्ययोजना का ही उपयोग किया जाएगा।

सूक्ष्म कार्ययोजना (माइक्रोप्लान) के महत्वपूर्ण घटक :-

(क) उपकेन्द्र हेतु माइक्रोप्लान

- उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँवों एवं मजरों की सूची बनाई जानी चाहिए।
- सभी गाँवों/मजरों एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक व्यक्ति की गणना करने के बाद सूची में कुल वास्तविक जनसंख्या दिखाई जानी चाहिए।
- क्षेत्रवार/ग्रामवार लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की वार्षिक संख्या का आंकलन वास्तविक हेड काउन्ट के आधार पर करके लिखें।
- क्षेत्रवार/ग्रामवार लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की मासिक संख्या का आंकलन वास्तविक हेड काउन्ट के आधार पर करके लिखें।
- प्रत्येक वैक्सीन एवं विटामिन 'ए' हेतु कुल मासिक लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की गणना करें।
- लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की मासिक संख्या के अनुसार वैक्सीन वायल एवं विटामिन 'ए' की शीशियों की संख्या की मासिक आवश्यकता लिखें।
- उपकेन्द्र की कार्ययोजना (रोस्टर) बनाकर सम्बन्धित गाँवों एवं मजरों के नाम वहाँ आयोजित होने वाले सत्रों का दिन लिखें।
- उपकेन्द्र का नक्शा बनाए जिसमें स्वास्थ्य केन्द्र (कोल्ड चेन) से दूरी, उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँवों एवं मजरों के नाम एवं दूरी, टीकाकरण दिवस, जनसंख्या एवं लाभार्थी संख्या लिखें।

सत्रों की संख्या का आंकलन:

याद रखें गाँवों एवं मजरों में सत्रों की संख्या का आंकलन इंजेक्शन की संख्या/लोड के आधार पर ही होगा।	
आउटरीच सत्रों के लिये मानक:	
25 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति दो माह
25 से 50 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
50 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह
दुर्गम एवं ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1000 से कम हो वहाँ कम से कम एक वर्ष में 4 सत्रों को आयोजन किया जायेगा।	

फिक्स्ड स्थल (पी0एच0सी/सी0एच0सी0) पर सत्रों के लिये मानक:	
40 इंजेक्शन से कम	एक सत्र प्रति दो माह
40 से 70 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
70 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह

- इंजेक्शन लोड आदि की गणना हेतु माइक्रोप्लान के प्रपत्रों की गणना युक्त साफ्टकॉपी उपलब्ध करा दी गई है साथ ही जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन टीकाकरण सत्र कराना सुनिश्चित करें।
- ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ पर आने वाले लाभार्थियों की संख्या अधिक हो, उन लाभार्थियों हेतु प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण सत्र आयोजित करना सुनिश्चित करें।

(ख) ब्लॉक पर माइक्रोप्लान बनाने के निर्देश –

- प्रत्येक ब्लॉक का नक्शा बनाया जाये तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र एवं गांवों को दर्शाया जाये।
- ब्लॉक के सभी गांवों, मजराओं एवं शहरी क्षेत्रों को माइक्रोप्लान में शामिल किया जाये और कोई भी क्षेत्र इस प्रक्रिया से छूटे नहीं साथ में यह ध्यान रहे कि सत्रों का आयोजन मानक के अनुसार ही हो।
- नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन कार्ययोजना के अनुरूप निश्चित दिवस एवं निश्चित स्थान जैसे उपकेन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य सामुदायिक स्थान जहां ज्यादा संख्या में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं लाभान्वित हो सके, पर किया जाए।
- टीकाकरण सत्रों के शत-प्रतिशत आयोजन हेतु उपलब्ध मानव संसाधन (स्वास्थ्य कार्यकर्त्री) एवं कार्य दिवसों के आधार पर वैकल्पिक सत्र व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। अगर किसी सार्वजनिक अवकाश या अन्य कारणों से सत्र आयोजित नहीं हो सके तो ऐसी स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी छूटे हुए सत्रों की वैकल्पिक कार्ययोजना बनवाकर पूर्ण टीकाकरण कराये।
- ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन भण्डार से सत्र स्थल तक वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक पहुंचाने की व्यवस्था एल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। इस कार्य हेतु किसी जिम्मेदार व्यक्ति को चिन्हित किया जाए एवं कार्य योजना में उनका नाम एवं मोबाइल नं. स्पष्ट किया जाए।
- प्रत्येक सत्र हेतु गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का चिन्हीकरण एएनएम/आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सहयोग से कराया जाए तथा उसके अनुरूप वैक्सीन एवं अन्य लॉजिस्टिक की आवश्यक मात्रा का सही रूप से आंकलन कर प्रत्येक सत्र में उपयुक्त मात्रा में वैक्सीन तथा अन्य लॉजिस्टिक उपलब्ध कराई जाए।
- प्रदेश के 11 चिनिहित बड़े शहरों तथा अन्य शहरों की मलिन बस्तियों हेतु टीकाकरण कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। भारत सरकार के निर्देशानुसार मलिन बस्तियों में 10,000 की जनसंख्या में प्रति माह 4 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाने हैं। शहरी क्षेत्र में तैनात नियमित एएनएम/एलएचवी का आंकलन कर कार्य योजना तैयार कर लें, इसके अतिरिक्त एन.एच.एम. के अन्तर्गत यू.एच.एम. कार्यक्रम में प्रत्येक अरबन हेल्थ पोस्ट पर कार्यरत ए. एन.एम. की सेवाएं भी ली जाएं।

6. टीकाकरण सत्र का आयोजन :-

- टीकाकरण सत्र कार्ययोजना के अनुसार आयोजित किए जाएं। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्थिति में ब्लॉक स्तर एवं सत्र स्थल पर वैक्सीन की उपलब्धता उक्त दिवस के ड्यू लिस्ट के अनुसार सुनिश्चित की जाए।
- वैक्सीन के साथ उपलब्ध कराए गए डाइल्यूएंट का ही इस्तेमाल करें तथा प्रत्येक वायल में डाइल्यूएंट मिलाने के लिए अलग-अलग सिरिज का इस्तेमाल करें।
- प्रत्येक माह के आखिरी सप्ताह में छूटे हुए सत्रों की अलग से कार्य योजना बनाते हुए टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।
- टीकाकर्मी को बच्चे के टीकाकरण से पहले साथ में आये अभिभावक को सम्पूर्ण जानकारी देनी है, तत्पश्चात् वैक्सीन दी जानी है तथा टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थी को किसी भी तरह की प्रतिकूल घटना (AEFI) होने पर तत्काल चिकित्साधिकारी/अधीक्षक को सूचित किया जा सके।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए पर्यवेक्षण प्रपत्र

ब्लॉक का नाम :

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक पीएचसी का नाम

प्रभारी अधिकारी का नाम :

उपकेन्द्र का नाम :

ग्राम सभा का नाम :

गाँव का नाम :

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का स्थल :

क्रम संख्या	मापदंड	मूल्यांकन हों/नहीं	टिप्पणी
भाग-1 : स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यकर्ता की उपस्थिति			
1	क्या सत्र पर एएनएम उपस्थित है?		
2	क्या सत्र पर आशा उपस्थित है?		
3	क्या सत्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित है?		
4	क्या स्वास्थ्य विभाग को कोई पर्यवेक्षक सत्र पर मौजूद है?		
5	क्या आई.सी.डी.एस. विभाग का कोई पर्यवेक्षक सत्र पर मौजूद है?		
भाग-2 : स्वास्थ्य एवं पोषण के दौरान एएनएम द्वारा प्रदान की गई सेवाएं			
6	क्या गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टाक्सॉइड के टीके दिए जा रहे हैं?		
7	क्या गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप नापा जा रहा है?		
8	क्या गर्भवती महिलाओं का वजन किया जा रहा है?		
9	क्या गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की पहचान के लिए हीमोग्लोबिन स्ट्रिप द्वारा रक्त जाँच की जा रही है?		
10	क्या गर्भवती महिलाओं के पेट पर हाथ रखकर परीक्षण किया जा रहा है?		
11	क्या गर्भवती महिलाओं को लाल आयरन की गोली वितरित की जा रही है?		
12	क्या गर्भवती महिलाओं की यूरीस्टिक के माध्यम से पेशाब की जाँच की जा रही है?		
13	क्या एएनएम बच्चों को टीके लगा रही है?		
14	* क्या किशोरियों को नीली आयरन की गोली एवं बच्चों को लाल आयरन की गोली/सिरप वितरित किया जा रहा है?		
15	क्या बीमार बच्चों को डायरिया, निमोनिया या अन्य किसी बीमारी हेतु जाँच एवं दवाई वितरित की जा रही है?		
16	क्या महिलाओं/पुरुषों को परिवार नियोजन सम्बन्धित साधन वितरित किये जा रहे हैं।		

क्रम संख्या	मापदंड	मूल्यांकन हों/नहीं	टिप्पणी
भाग-3 : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान प्रदान की गई सेवाएं			
17	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पूर्व में चिन्हित कुपोषित बच्चों का वजन लेकर ग्रोथ चार्ट/मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड में अंकित कर रही है?		
18	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन वितरित किया जा रहा है?		
19	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा किशोरियों को घर ले जाने वाला राशन वितरित किया जा रहा है?		
20	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने वाला राशन वितरित किया जा रहा है?		
21	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा स्तनपान करा रही माताओं को घर ले जाने वाला राशन वितरित किया जा रहा है?		
22	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने 0-5 वर्ष तक के लाभार्थी बच्चों की सूची बनाई है?		
23	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सत्र पर लाभार्थियों को लाने में मदद कर रही है?		
भाग-4 : स्वास्थ्य एवं पोषण के दौरान आशा द्वारा प्रदान की गई सेवाएं			
24	क्या आशा ने गर्भवती महिलाओं, 0-2 वर्ष तक के बच्चों तथा योग्य दम्पतियों की आवश्यकतानुसार सेवाओं हेतु सूची बनाई है?		
25	क्या आशा लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं पोषण सत्र पर लाने के लिए प्रेरित कर रही है।		
भाग-5 : स्वास्थ्य एवं पोषण के दौरान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता			
26	क्या सत्र पर उपलब्ध वजन मशीन (बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं हेतु) सही काम कर रही है?		
27	क्या सत्र स्थल पर उपलब्ध बी.पी. मशीन एवं स्टेथोस्कोप सही काम कर रही है?		
28	क्या सत्र स्थल पर उपलब्ध थर्मामीटर सही काम कर रहा है?		
29	क्या सत्र पर बीमार बच्चों/महिलाओं (गर्भवती, प्रसूता) को आवश्यकतानुसार जाँच व सन्दर्भन किया जा रहा है।		
30	क्या सत्र स्थल पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित की गई है?		
31	क्या सत्र पर लाभार्थियों/ अभिभावकों को किसी भी विषय पर परामर्श/सलाह दी जा रही है।		
32	क्या सत्र कार्य योजना (दिन व स्थान) के अनुसार आयोजित किया गया है?		

* यदि दोनों प्रकार के लाभार्थियों को आयरन दिया जा रहा है तभी हों लिखें

नोट: यदि कोई कार्यकर्ता सत्र पर उपस्थित नहीं है तो उससे सम्बन्धित प्रश्नों में 'नहीं' अंकित करें

पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

लाभार्थी सूची एवं टेली शीट
(एएनएम द्वारा आशा एवं आंगनवाड़ी के सहयोग से भरा जाए)

1. जन्मपत्र का नाम		2. अर्वाक का नाम		3. सीपचसी/पीपचसी का नाम		4. उप-केंद्र का नाम		5. ANM का नाम		6. आई.बी.एल. नंबर		7. गाँव/सब स्थल का नाम		8. आशा का नाम		9. एएनएम का मोबाइल नंबर			
अ. पसब पूर्व सेवा-कृपया सेवा प्रदान करने के पश्चात टिक करें।																			
गर्भवती महिला का नाम	अभिजा के पति का नाम	उम्र	जाति-सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	दी जाने वाली सेवाएँ	एएनसी पंजीकरण	एएनसी कार्ड (जारी एवं आपूर्तिगत किया गया)	पैमास- 1/2/3	एएनसीपी कार्ड पर पसब की समाविष्ट तिथि अंकित की	रक्तचाप का माप किया गया	बुल की जांच का माप	शर्करा एवं अम्लमिद हेतु मूत्र की जांच	पेट की जांच	वजन	टैटी-1	टैटी-2	आइएन तथा कोशिक एलिसि का वितरण- 100/200	टीपचआर का वितरण	जन्म की योजना- गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास	अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं (प्रबंधन, संयोजन एवं फॉलो-अप)
कुल योग																			
ब. पंच वर्ष से कम आयु के बच्चे																			
बच्चों का नाम	पिता का नाम	आयु	लिंग	दी जाने वाली सेवाएँ	वैसीजी	टीपीटी-1	पॉलियो-1	इप-1	टीपीटी-2	पॉलियो-2	इप-2	टीपीटी-3	पॉलियो-3	इप-3	खुरा	जई-पहली खुराक	विटामिन-A की पहली खुराक	6 माह से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए आइएन सिरप की खुराक	कोई अन्य टिकाकरण
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
कुल योग																			
कुल योग																			

[illegible]

- 1 जड़रिया से घसित बच्चों की संख्या
- 2 कुल वितरित किए गए औजारएस पेकेटस की संख्या
- 3 उन बच्चों की संख्या जिनहोने जिक के 14 टेबलेटस का सेवन किया
- 4 जड़रिया से घसित बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र पर संदर्भित किया गया
- 5 निमोनिया से घसित बच्चों की संख्या
- 6 निमोनिया से घसित बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में संदर्भित किया गया
- 7 माह में कुल मातात्व मृत्यु की संख्या
- 8 माह में कुल शिशु मृत्यु की संख्या

पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

ब्लॉक से जनपद को प्रेषित होने वाली रिपोर्ट

1-जनपद का नाम		2-ब्लॉक का नाम				
3- प्रभारि चिकित्साधिकारी का नाम				मोबाइल नंबर		
4-बी पी एम का नाम				मोबाइल नंबर		
5-माह		7-कुल नियोजित किए गए वीएचएनडी की संख्या				
6-वर्ष		8.कुल आयोजित किए गए वीएचएनडी की संख्या				
क्रम संख्या	सेवाएँ	लक्ष्य		देय (इयू सूची के अनुसार)	उपलब्धता	
		वार्षिक अनुमानित	मासिक अनुमानित		मासिक	क्रमिक
ए	प्रसव पूर्व सेवाएँ					
ए.1	प्रसव पूर्व देखभाल हेतु पंजीकृत किए गए कुल महिलाओं की संख्या					
ए.1.1	पहले त्रैमास में पंजीकृत किए गए प्रसव पूर्व देखभाल हेतु कुल महिलाओं की संख्या					
ए.1.2	कुल वितरित एमसीपी कार्ड					
ए.2	प्रसव पूर्व जाँचे					
ए.2.1	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके रक्तचाप का माप लिया गया					
A.2.2	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके खून की जांच की गयी					
A.2.3	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके पेट की जांच की गयी					
A.2.4	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका वजन लिया गया					
A.2.5	कुल उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या (प्रबंधन, संदर्भन एवं फॉलो-अप)					
A.2.6	कुल उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या जिनको संदर्भित किया गया					
A.2.7	अंतिम त्रैमास में पंजीकृत होने वाली महिलाओं की संख्या					
A.2.8	अंतिम त्रैमास में पंजीकृत होने वाली महिलाओं की संख्या जिनका जन्म योजना पर परामर्श किया गया					
B	5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की प्रतिरक्षण सेवा का विवरण					
B.1	0-1 वर्ष तक के बच्चे					
B.1.1	बीसीजी					
B.1.2	डीपीटी-1					
B.1.3	पोलियो-1					
B.1.4	हिपेटाइटिस. बी-1					
B.1.5	डीपीटी-2					
B.1.6	पोलियो-2					
B.1.7	हिपेटाइटिस. बी-2					
B.1.8	डीपीटी-3					
B.1.9	पोलियो-3					
B.1.10	हिपेटाइटिस. बी-3					
B.1.11	खसरा-1					
B.1.12	जेई-प्रथम खुराक					
B.1.13	विटामिन-ए-प्रथम खुराक					
B.1.14	कुल बच्चों की संख्या जिनको उपरोक्त में से कोई भी टीका लगा हो					

B.2	बच्चे 1-5 वर्ष तक					
B.2.1	डीपीटी बूस्टर					
B.2.2	पोलियो बूस्टर					
B.2.3	खसरा-2					
B.2.4	जेई की द्वितीय खुराक					
B.2.5	बीएसपीएम के दौरान विटामिन-ए की द्वितीय से नवी खुराक					
C.	परिवार नियोजन (परिवार नियोजन संबन्धित सामग्रियों का वितरण / परिवार नियोजन सेवाओं हेतु संदर्भन)					
C.1	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको गर्भ निरोधक गोतियां दी गईं					
C.2	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको कौडोम दी गईं					
C.3	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको कॉपर-टी हेतु संदर्भित किया गया					
C.4	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको नसबंदी हेतु संदर्भित किया गया					
D.	किशोरी बालिकाएँ (10-19 वर्ष)					
D.1	टीटी					
D.2	सामाजिक विपणन प्रणाली के माध्यम से किशोरियों को वितरित की गयी सेनीटरी नैपकिन की संख्या					
E.	पोषण संबन्धित सेवाएँ					
E-1	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको आईएफए टेबलेट्स दिये गए					
E-2	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको टीएचआर दिया गया					
E-3	कुल किशोरियों की संख्या जिनको नीली क्रिनाशक गोतियां दी गईं					
E-4	6 माह से पाँच वर्ष के बच्चों की संख्या जिनको आइरन सीरप दिया गया					
E-5	कुल बच्चों की संख्या जिनको टीएचआर दिया गया					
E-6	कुल बच्चों की संख्या जिनका वजन लिया गया एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट/वृद्धि पंजिका में अंकित किया गया					
E-7	कुल कम वजन वाले बच्चों की संख्या जिनको दोगुना टीएचआर दिया गया					
E-8	कम वजन वाले बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में जांच एवं उपचार हेतु संदर्भित किया गया (मल, खून एवं शारीरिक जांच)					
E-9	कुल अतिकूपित बच्चों की संख्या					
E-10	कुल अतिकूपित बच्चों की संख्या जिनको एनआरसी में उपचार हेतु संदर्भित किया गया					
F.	अन्य सेवाएँ					
F.1	डाईरिया से ग्रसित बच्चों की संख्या					
F.2	कुल वितरित किए गए ओआरएस पैकेट्स की संख्या					
F.3	उन बच्चों की संख्या जिनहोने ज़िक के 14 टेबलेट्स का सेवन किया					
F.4	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या					
F.5	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में संदर्भित किया गया					
F.6	माह में कुल मातृत्व मृत्यु की संख्या					
F.7	माह में कुल शिशु मृत्यु की संख्या					

ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक के हस्ताक्षर

प्रभारिचिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर

जनपद से राज्य को प्रेषित होने वाली रिपोर्ट

1-जनपद का नाम-		2-ब्लॉक का नाम				
3. मुख्यचिकित्साधिकारी का नाम				मोबाइल नंबर		
4. वीएचएनडी के नोडल अधिकारी का नाम				मोबाइल नंबर		
5-माह		7-कुल नियोजित किए गए वीएचएनडी की संख्या				
6-वर्ष		8.कुल आयोजित किए गए वीएचएनडी की संख्या				
क्रम संख्या	सेवाएँ	लक्ष्य		देय (ड्यू सूची के अनुसार)	उपलब्धता	
		वार्षिक अनुमानित	मासिक अनुमानित		मासिक	क्रमिक
ए	प्रसव पूर्व सेवाएँ					
ए.1	प्रसव पूर्व देखभाल हेतु पंजीकृत किए गए कुल महिलाओं की संख्या					
ए.1.1	पहले त्रैमास में पंजीकृत किए गए प्रसव पूर्व देखभाल हेतु कुल महिलाओं की संख्या					
ए.1.2	कुल वितरित एमसीपी कार्ड					
ए.2	प्रसव पूर्व जाँचे					
ए.2.1	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके रक्तचाप का माप लिया गया					
ए.2.2	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके खून की जांच की गयी					
ए.2.3	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके पेट की जांच की गयी					
ए.2.4	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका वजन लिया गया					
ए.2.5	कुल उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या (प्रबंधन, संदर्भन एवं फॉलो-अप)					
ए.2.6	कुल उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या जिनको संदर्भित किया गया					
ए.2.7	अंतिम त्रैमास में पंजीकृत होने वाली महिलाओं की संख्या					
ए.2.8	अंतिम त्रैमास में पंजीकृत होने वाली महिलाओं की संख्या जिनका जन्म योजना पर परामर्श किया गया					
B	5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की प्रतिरक्षण सेवा का विवरण					
B.1	0-1 वर्ष तक के बच्चे					
B.1.1	बीसीजी					
B.1.2	डीपीटी-1					
B.1.3	पोलियो-1					
B.1.4	हिपेटाइटिस. बी-1					
B.1.5	डीपीटी-2					
B.1.6	पोलियो-2					
B.1.7	हिपेटाइटिस. बी-2					
B.1.8	डीपीटी-3					
B.1.9	पोलियो-3					
B.1.10	हिपेटाइटिस. बी-3					
B.1.11	खसरा-1					
B.1.12	जेई-प्रथम खुराक					
B.1.13	विटामिन-ए-प्रथम खुराक					
B.1.14	कुल बच्चों की संख्या जिनको उपरोक्त में से कोई भी टीका लगा हो					

B.2	बच्चे 1-5 वर्ष तक				
B.2.1	डीपीटी बूस्टर				
B.2.2	पोलियो बूस्टर				
B.2.3	खसरा-2				
B.2.4	जेई की द्वितीय खुराक				
B.2.5	बीएसपीएम के दौरान विटामिन-ए की द्वितीय से नवी खुराक				
C.	परिवार नियोजन (परिवार नियोजन संबंधित सामग्रियों का वितरण / परिवार नियोजन सेवाओं हेतु संदर्भन)				
C.1	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको गर्भ निरोधक गोलियां दी गईं				
C.2	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको कॉंडोम दी गईं				
C.3	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको कॉपर-टी हेतु संदर्भित किया गया				
C.4	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको नसबंदी हेतु संदर्भित किया गया				
D.	किशोरी बालिकाएँ (10-19 वर्ष)				
D.1	टीटी				
D.2	सामाजिक विपणन प्रणाली के माध्यम से किशोरियों को वितरित की गयी सेनीटरी मैफ़िंस की संख्या				
E.	पोषण संबंधित सेवाएँ				
E-1	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको आईएफए टेबलेट्स दिये गए				
E-2	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको टीएचआर दिया गया				
E-3	कुल किशोरियों की संख्या जिनको नीली क्रिनाशक गोलियां दी गईं				
E-4	6 माह से पाँच वर्ष के बच्चों की संख्या जिनको आइरन सीरप दिया गया				
E-5	कुल बच्चों की संख्या जिनको टीएचआर दिया गया				
E-6	कुल बच्चों की संख्या जिनका वजन लिया गया एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट/वृद्धि पंजिका में अंकित किया गया				
E-7	कुल कम वजन वाले बच्चों की संख्या जिनको दोगुना टीएचआर दिया गया				
E-8	कम वजन वाले बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में जांच एवं उपचार हेतु संदर्भित किया गया (मल, खून एवं शारीरिक जांच)				
E-9	कुल अतिकूपोषित बच्चों की संख्या				
E-10	कुल अतिकूपोषित बच्चों की संख्या जिनको एनआरसी में उपचार हेतु संदर्भित किया गया				
F.	अन्य सेवाएँ				
F.1	डाईरिया से ग्रसित बच्चों की संख्या				
F.2	कुल वितरित किए गए ओआरएस पैकेट्स की संख्या				
F.3	उन बच्चों की संख्या जिनहोने ज़िक के 14 टेबलेट्स का सेवन किया				
F.4	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या				
F.5	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में संदर्भित किया गया				
F.6	माह में कुल मातृत्व मृत्यु की संख्या				
F.7	माह में कुल शिशु मृत्यु की संख्या				

वीएचएनडी के नोडल अधिकारी का हस्ताक्षर

मुख्यचिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर

राज्य स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति

राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के संचालन एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न समिति का गठन किया जा रहा है उक्त समिति प्रत्येक त्रैमास में कार्यक्रम की समीक्षा सुनिश्चित करेगी :-

1.	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, पोषण मिशन	सह-अध्यक्ष
3.	महानिदेशक, परिवार कल्याण	सदस्य सचिव
4.	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य	सदस्य
5.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, बाल कल्याण द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, पंचायती राज द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
10.	निदेशक, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
11.	निदेशक, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य	सदस्य
12.	निदेशक, पंचायतीराज	सदस्य
13.	विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य स्तरीय अधिकारी	सदस्य
14.	यूनीसेफ के राज्य स्तरीय अधिकारी	सदस्य
15.	अधिशाली निदेशक - यू.पी.-टी.एस.यू.	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण द्वारा नामित विशेष आमंत्रित	सदस्य

निदेशालय स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति

उक्त कार्यक्रम की मासिक समीक्षा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर पर गठित निम्न समिति में द्वारा की जाएगी-

1.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	अध्यक्ष
2.	निदेशक, राज्य पोषण मिशन	उपाध्यक्ष
3.	निदेशक, बाल विकास	सदस्य
4.	निदेशक, सूडा	सदस्य
5.	महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस	सदस्य सचिव
6.	निदेशक, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य	सदस्य
7.	संयुक्त निदेशक, नियमित टीकाकरण	सदस्य
8.	संयुक्त निदेशक, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य	सदस्य
9.	संयुक्त निदेशक, परिवार नियोजन	सदस्य
10.	संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण	सदस्य
11.	संयुक्त निदेशक, आर.बी.एस.के.	सदस्य
12.	संयुक्त निदेशक, शहरी स्वास्थ्य	सदस्य
13.	महाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य	सदस्य
14.	महाप्रबंधक, बाल स्वास्थ्य	सदस्य
15.	महाप्रबंधक, नियमित टीकाकरण	सदस्य
16.	महाप्रबंधक, शहरी स्वास्थ्य	सदस्य
17.	महाप्रबंधक, परिवार नियोजन	सदस्य
18.	महाप्रबंधक, आर.बी.एस.के.	सदस्य
19.	महाप्रबंधक, प्रशिक्षण	सदस्य

20.	महाप्रबंधक, एम.आई.एस./एम.सी.टी.एस.	सदस्य
21.	विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य स्तरीय अधिकारी	सदस्य
22.	यूनीसेफ के राज्य स्तरीय अधिकारी	सदस्य
23.	अधिशाली निदेशक, यू.पी.-टी.एस.यू.	सदस्य

मण्डल स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति

मण्डल स्तर पर मासिक रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की समीक्षा हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाएगा –

1.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	संयुक्त विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सह-उपाध्यक्ष
4.	मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक--राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य सचिव
5.	डिप्टी डायरेक्टर, पंचायत	सदस्य
6.	सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
7.	संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
8.	मण्डल मुख्यालय के जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
9.	अन्य कोई सक्रिय स्वयं सेवी संस्था / स्वैच्छिक संस्था	सदस्य

जिला स्तरीय स्वास्थ्य पोषण समिति

जनपद स्तर पर मासिक रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की समीक्षा हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाएगा -

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सह उपाध्यक्ष
4.	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस.	सदस्य
6.	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी - नगरीय	सदस्य
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8.	जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य
9.	जिला परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य
10.	जिला नियमित टीकाकरण अधिकारी	सदस्य सचिव
11.	समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
12.	समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/ ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सदस्य
13.	समस्त जिला विकास अधिकारी	सदस्य
14.	विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनीसेफ के जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
15.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सदस्य
16.	जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक	सदस्य
17.	जिला मॉनिटर-टी.एस.यू.	सदस्य